संख्या–पी–100/14–2–2015–800(148)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 2016

विषय:– विश्व बैंक पोषित बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0 51) के चौड़ीकरण हेतु **(1) सम्भल** में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा **(2) अमरोहा** में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनो जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1225/ समेकित/10923/यू0पी0 026/2015 एवं ऑन लाइन संख्या– एफ0पी0/यू0पी0/रोड/10923/2015, दिनांक 07–12–2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–29 वाराणसी–गोरखपुर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु विश्व बैंक पोषित बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0 51) के चौड़ीकरण हेतु **(1) सम्भल** में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा **(2) अमरोहा** में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनो जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु समेकित प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत है।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या–पी–100(1)/14–2–2015–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– जिलाधिकारी, सम्भल एवं अमरोहा।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल एवं अमरोहा वन प्रभाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।